

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक: 520/स.सा.प्र.वि./2020

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/08/2021

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक
2. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक

विषय:- अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में वायु मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों हेतु कोविड जांच की अनिवार्यता संबंधी दिशा-निर्देश में आंशिक संशोधन ।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 513/स.सा.प्र.वि./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03/08/2021

—00—

संदर्भित परिपत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों से वायु मार्ग से छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले समस्त यात्रियों के लिए कोविड जांच की अनिवार्यता के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

2/ ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का प्रमाण पत्र हो, उन्हें आर.टी.पी.सी.आर. जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाये। शेष यात्रियों हेतु 96 घंटे पूर्व तक की निगेटिव आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट का होना अनिवार्य होगा।

3/ पूर्व में जारी अन्य शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग


पृ.क्रमांक:- 520-A /स.सा.प्र.वि./2020

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/08/2020

प्रतिलिपि:-

1. भारत सरकार के केबिनेट सचिव,
2. गृह सचिव, भारत सरकार,
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट रायपुर,
6. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर.

10. समस्त विभागाध्यक्ष,
11. संचालक, एयरपोर्ट रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर,
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग